



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-610

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 297972 दिनांक 22/05/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Sanghmitra Meena W/o Jitendra Kumar Meena	शिखा अग्रवाल पत्नी संजय अग्रवाल	225	295.55 SQ. YARD	Private	GANGA VIHAR ENCLAVE	Name Transfer	निजी खातेदारी की योजना गंगा एनक्लेव के भूखण्ड संख्या 225 क्षेत्रफल 295.55 व.ग. का लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड पट्टा विलेख दिनांक 21.06.2022 को शिखा अग्रवाल पत्नी संजय अग्रवाल के नाम से जारी किया गया था। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.07.2022 को शिखा अग्रवाल पत्नी संजय अग्रवाल द्वारा अनिता मीना पत्नी राजेन्द्र प्रसाद मीना को कर दिया गया। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

19.03.2026 को
अनिता मीना
पत्नी राजेन्द्र
प्रसाद मीना द्वारा
संघमित्रा मीना
पत्नी जितेन्द्र
कुमार मीना को
कर दिया गया।
प्रश्नगत प्रकरण
की मूल पत्रावली
जोन कार्यालय
रिकाॅर्ड उपलब्ध
नहीं हो पा रही है
जिसके संबंध में
तलाश पत्र जारी
कर दिया गया है।
सीपीआरएमएस
पर उपलब्ध रिका
ॅर्ड अनुसार
प्रश्नगत भूखण्ड
का पट्टा विलेख
दिनांक
21.06.2022 को
शिखा अग्रवाल
पत्नी संजय
अग्रवाल के नाम
से जारी होना दर्ज
है। अतः पत्रावली
अवलोकनार्थ एवं
आदेशार्थ प्रस्तुत
है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Sanghmitra Meena W/o Jitendra Kumar Meena को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।